

कार्यालय जिला कलेक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग) जालोर

क्रमांक/सहायता/जलसंसाधन/2020/8995

दिनांक 11/12/2020

—:: प्रशासनिक स्वीकृति आदेश ::—

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग जालोर से अनुशंषा सहित जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव प्राप्त होने पर मानसून वर्ष 2020 (संवत् 2077) हेतु मानसून अवधि वर्ष 2020 (संवत् 2077) में अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (बांध) की तात्कालिक मरम्मत/पुनरुत्थान हेतु आ.प्र.सहा.एवं ना.सु.वि. जयपुर को भेजे गए प्रस्तावों पर विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश एफ 8(4)आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ/20/13709-14 दिनांक 03.11.2020 की पालना में राज्य आपदा मोचन निधि से निम्नलिखित क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत हेतु उनके आगे अंकित राशि अनुसार कार्यवार प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त कार्यों के लिए कार्यकारी ऐजेन्सी जल संसाधन विभाग रहेगी:-


क्र.सं.	अधिशाषी अभियन्ता क्षेत्र जालोर	तहसील	नाम क्षतिग्रस्त बांध	तात्कालीक मरम्मत हेतु राशि (लाखों में)
1	जालोर	रानीवाडा	एम.आई.पी. जालेरा कलां-1 D/S Protection	1.50

अक्षरे रुपये एक लाख पचास हजार रुपये मात्र।

उक्त व्यय मांग लेखा मद 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहते 02-बाढ चकवात आदि 122-खराब सिंचाई तथा बाढ नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना (02) बाढ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता (01) (बाढ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता), 21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिवद्ध के अन्तर्गत वहन किया जावेगा।

स्वीकृति की प्रमुख शर्तें :-


- 1 वि0ले0 नियमों, एवं एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 के तहत भारत सरकार से जारी संशोधित नियम/ नॉर्म्स दिनांक 8.4.2015 तथा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार करेगे।
- 2 संयुक्त शासन सचिव आ.प्र.सहा.एवं.ना.सु.वि. राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ 8(4) आ.प्र.एवं.सहा./प्रस्ताव / बाढ / 20/ 13715-21 जयपुर दिनांक 03.11.2020 की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- 3 कार्य गुणवत्तापूर्ण करवाया जाकर उपखण्ड स्तरीय समिति से सत्यापन करवाकर, रिपोर्ट बिल के साथ भिजवाना सुनिश्चित की जावे।
- 4 इस स्वीकृति के आधार पर कार्यकारी ऐजेन्सी तकनीकी स्वीकृति जारी कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।
- 5 शासन सचिव आ.प्र.सहा.एवं.ना.सु.वि. राजस्थान जयपुर के दिशा निर्देश पत्रांक एफ 8(1) आ.प्र.एवं.सहा./प्रस्ताव / बाढ / 20/ 12384-85 जयपुर दिनांक 24.09.2020 की पालना सुनिश्चित की जावे।


(हिमाशु गुप्ता) 11/12
जिला कलेक्टर
जालोर
दिनांक 11/12/2020

क्रमांक:/एफ 10()आ.प्र.एवं सहा./2020/8996-9026

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1 शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर।
- 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर।
- 4 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रशासन, जालोर।
- 5 अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत्त, जालोर।
- 6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर।
- 7 उपखण्ड अधिकारी, जालोर, सायला, आहोर, रानीवाडा, जसवन्तपुरा, सांचोर, भीनमाल।
- 8 अधिशाषी अभियन्ता, जलसंसाधन विभाग जालोर।
- 9 विकास अधिकारी, पंचायत समिति जालोर, सायला, आहोर, रानीवाडा, जसवन्तपुरा, सांचोर, भीनमाल।
- 10 तहसीलदार, जालोर, सायला, आहोर, रानीवाडा, जसवन्तपुरा, सांचोर, भीनमाल।
- 11 जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जालोर।
- 12 निजी सहायक, जिला कलेक्टर, जालोर।


प्रभारी अधिकारी
(सहायता) जालोर
11/12